Renewable technologies for augmenting the supply of commercial energy

3207 SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any long-term plan to harness and tap the wide spectrum of renewable technologies for augmenting the supply of commercial energy in the economy has been formulated, if so the details thereof; and

(b) if not, the reasons therefor particularly when renewable energy offers cheaper alternatives?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) In February 1987, the then Department of Non-Conventional Energy Sources had prepared a paper titled: "Energy—2001—Perspective Plan—Non-Conventional Energy Sources" which envisaged accelerated development of non-conventional energy sources over a 15 year period for achieving a significant contribution from them to the total energy. However, the Perspective Plan could not materialize on the scale envisaged because resources allocated during the 7th and 8th Plan period were too meagre compared to what was required for achieving the targets indicated in the paper. However, programmes have been developed during successive plan periods to promote renewable energy technologies. An approved outlay of Rs. 857 crores has been provided in the Central Sector in the 8th Plan. With a view to provide a new impetus and major thrust to the programme, the Ministry of Non-Conventional Energy Sources has prepared a new 'Strategy and Action Plan' which aims at achieving considerably higher targets than those originally envisaged in the Eighth Plan, by mobilising institutional finance international assistance and private entrepreneurship, in addition to budgetary provisions. The new plan aims at inter-alia generation of 1655-1955 MW of power through wind, small hydro, bio-energy and solar energy sources, as against 600 MW envisaged earlier in the Eighth Plan. The implementation of the envisaged programme will, however, depend on the mobilisation of financial resources and other relevant inputs.

(b) Does not arise.

महासागर में औषधीय वनस्पतियों की खोज

3208. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महासागरों में औषधीय वनस्पतियां बहुतायत में पायी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां, श्रीमान समुद्र में कुछ औषधीय समुद्री वनस्पति जात तथा प्राणिजात पाये गये हैं।

(ख) महासागर विकास विभाग ने दस राष्ट्रीय योगशालाओं की भागीदारी के साथ नवम्बर, 1990 में समुद्र में औषधियों की सभाव्यता विकसित करने पर एक राष्ट्रीय परियोजना मंजूर की है । केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को सभी केंद्रों के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिये चुना गया था । भारत में वाणिज्यिक आधार पर औषधियां बनाने के लिये किसी भी समुद्री जीव की पहचान नहीं की गई है ।

मार्च 1993 तक 646 समुद्री वनस्पतिजात (150 नमूने) एवं जीवजात (490 नमूने) की पहचान एवं सक्रियता के लिये उनकी जांच की गई। 1993-94 के दौरान एक सौ से अधिक

समुद्री वनस्पतिजात एवं जीवजात की जव सक्रियता के लिए जांच एवं चिर चित्रण किया जाना है । औषधियों के विकास के लिये जैव सक्रियता के सबंध में आशाजनक वनस्पतिजात एवं जीवजात पर अनुधान जारी है ।

Publication of Civil Lists

3209. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the approximate dates of publication of the latest Civil Lists of various All India Services and Central Government Services like IAS, CAS, IPS, IFS, CCS, etc;

(b) which are priced publication for public sale; and

(c) whether some of them are for Departmental only; if so, the reasons for which they are not made available to public in these days of open Government, fair play, transparency, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) This Department publishes Civil Lists annually during Feb/Mar. in respect of the Indian Administrative Service Officers which are priced publications for public sale.

(c) Does not arise.

तकनीकी काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

3210. **श्री विठठलराव माधवराव जाधव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) सरकारी सेवाओं और सार्व जनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तकनीकी काम करने वाले कर्मचरियों के लिए सेवानिवृत्ति की क्या आयु तय की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीकी काम के लिये नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में ही कई वर्ष लग जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय करेगी ;

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मारगेट आल्वा) : (क) से (ङ) कामगारों तथा समूह "घ" पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसी कतिपय श्रेणियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अधिवार्षिता की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है । किन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिको के संबंध में अधिवार्षिता की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है । प्रशिक्षण, अन्तर्लयन अथवा कार्य करने की अवधि अधिवार्षिता की आयु निर्धारित करने के लिये कोई सगत कारण नहीं है, इसलिये तकनीकी कार्मिकों की अधिवार्षिता की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Cases decided by CAT against Government

3211. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more then fifty per cent of the cases adjudicated by the Central Administrative Tribunal were decided against Government as per the sample analysis carried out by the Department of Personnel & Training;